

924 किलो आतिशबाजी जब्त, दो व्यापारी गिरफ्तार

शिकायतों के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की

अलवर। एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद खैरखत-तिजारा जिले के किशनगढ़बास में खुलेआम पटाखों की बिक्री की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक पटाखा व्यापारियों पर शिकंजा कसा। टीम ने दो दुकानों पर छापा मारकर 924 किलो पटाखों की खेप बरामद की और दो व्यापारियों को गिरफ्तार किया।



किशनगढ़बास में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर पुलिस ने दबिशा दी।

उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव ने बताया कि प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि किशनगढ़बास के विशिष्ट मार्केट में अनेक पटाखों की बिक्री हो रही है। इस पर पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया। एसडीएम मनीष कुमार जाटव, तहसीलदार नरेंद्र भाटिया, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह शेखावत और एसएसआई ज्ञानचंद को टीम ने रविवार को अभियान चलाया,

जिससे व्यापारियों को आतिशबाजी छिपाने का मौका नहीं मिला।

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने किशनगढ़बास निवासी जितेंद्र उर्फ

जीतू और बम्बोरा गांव के निवासी मनोज धीवर को गिरफ्तार किया।

जितेंद्र के कब्जे से 32 किलो 200 ग्राम और मनोज धीवर के पास से 892 किलो पटाखे बरामद किए गए। किशनगढ़बास के विशिष्ट मार्केट में बने इन गोदामों में भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे, जो सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा थे। अधिकारियों का मानना है कि यह खेप दीवानी के त्योहार पर बेचने के उद्देश्य से जमा की गई थी।

थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह कार्रवाई रविवार दोपहर 3 बजे से देर रात 9 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन अब इलाके में अवैध पटाखा व्यापार को रोकथाम के लिए लगातार निगरानी रखेंगे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई ने न केवल स्थानीय नागरिकों को राहत दी है, बल्कि अवैध व्यापार में लिप्त अन्य लोगों के लिए भी यह एक सख्त चेतावनी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम में कार्यरत जेएलओ राधिका बंसल राज्य में टॉपर

बीकानेर। राजस्थान ज्युडिशियल सर्विस (आरजेएस)- 2024 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। जिसमें कुल 222 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। टॉप 10 में से 9 स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है। बीकानेर संभाग की राधिका बंसल ने जनरल कैटेगरी में राज्य में टॉप किया है। राधिका वर्तमान में बीकानेर नगर निगम कार्यालय में कनिष्ठ

विधि अधिकारी (जेएलओ) के पद पर कार्यरत है। राधिका ने 300 नंबरों के पेपर में 188 अंक हासिल कर नंबर वन रैंक प्राप्त की है। आरजेएस परीक्षा में बीकानेर का दबदबा रहा है।

बीकानेर से करीब 12 से अधिक अभ्यर्थियों का इस परीक्षा में चयन हुआ है। राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर के सात अभ्यर्थियों का आरजेएस 2024 परीक्षा में चयन हुआ है। जिसमें छः छात्राएं हैं। राजकीय विधि कॉलेज की छात्रा शैली आचार्य ने 66वीं और रेनु बाला ने 68वीं रैंक हासिल की है। जबकि मोनिका राजपुरोहित ने 71वीं, महिमा ने 91वीं, प्रियंका सोलंकी ने 108वीं, ओमप्रकाश राईका ने 197, ऋचा जाटव ने 213वीं रैंक हासिल कर बीकानेर का नाम रोशन किया है। इसके अलावा बीकानेर की ही देव्यानी शर्मा ने पहले प्रयास में 26 वीं रैंक हासिल की है। पाली में रहने वाली बीकानेर मूल की लक्ष्मी सुपुगा का भी आरसीएस परीक्षा में चयन हुआ है। जज का बेटा आदित्य व्यास भी बना जज

बीकानेर मूल के आदित्य व्यास का प्रथम प्रयास में 47 रैंक पर आरजेएस में चयन हुआ है। आदित्य के पिता उमाशंकर व्यास वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में न्यायाधीपति के पद पर कार्यरत हैं वहीं उनकी मां नंदनी व्यास जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर में पद पर कार्यरत है। आदित्य की बहन सोनल एवं जीजा पुरुषोत्तम भी वर्तमान में अलवर में सिविल न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। आरजेएस परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाली राधिका बंसल ने 'भारस्कर' से कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको सफल होना है तो पढ़ाई को पूरा समय देना होगा। बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जिले में रहने वाली राधिका ने तीन महीने पहले ही नगर निगम बीकानेर कार्यालय में जेएलओ के पद पर कार्य ग्रहण किया था। राधिका ने बताया कि आरजेएस बना राधिका का अनाम पहला सपना था। जिसे लगातार कठिन परिश्रम और अध्ययन से उन्होंने हासिल किया है।

अवैध शराब के 388 कार्टन बरामद

गुडामालानी, (निर्सं)। बाडमेर जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा चलाए जा रहे अवैध तस्करी रोकथाम अभियान के तहत एवं गुडामालानी पुलिस उपाधीक्षक सुखराम विश्णोई के निर्देश पर क्षेत्र के रांगेश्वरी पुलिस थाना नगरने डीएसटी टीम के संयुक्त नाकाबंदी कर कार्यवाही करते हुए टैकर से अवैध शराब के 388 कार्टन बरामद करने के साथ टैकर चालक को गिरफ्तार किया। नगर थाना प्रभारी आदेश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नगर आरजीटी पुलिस एवं डीएसटी टीम ने नाकाबंदी करते हुए जोधपुर कि तरफ से आ रहे एक टैकर को रुकवाकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान टैकर के अन्दर रखे अवैध अंभोजी शराब के 388 कार्टन बरामद किए।

कार्यालय नगर परिषद जैसलमेर (राज.)
 दिनांक - 25/10/2024
निविदा सूचना 12/2024-25 NIB Code DLB2425A3586
 नगर परिषद जैसलमेर की ओर से नगर परिषद जैसलमेर में उपयुक्त श्रेणी व अन्य विभागों में "ए" व "एए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से उपरोक्त कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें आदि वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। उक्त कार्यों के यू.पी.एन. नं. DLB2425WSOB11266, 11267, 11268, 11269, 11271 है।
 आदित्य
 नगर परिषद जैसलमेर
 राज.संवाद/सी/24/7044

अवैध डोडा-पोस्ट सहित एक आरोपी गिरफ्तार फायरिंग करने का मुख्य आरोपी पकड़ा



पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

बालोतरा, (निर्सं)। बालोतरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध सप्ताह की लगातार तीसरी बड़ी कार्यवाही की। ऑपरेशन भोक्काल के दौरान तस्करी के खिलाफ कार्यवाही कर 679.655 किलोग्राम डोडा पोस्ट (कीमत करीब 50 लाख रुपये) सहित परिवहन में प्रयुक्त प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन को जब्त किया। डोडा पोस्ट तस्कर भोमाराम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस वाहन में 33 काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में भरे कुल 679.655 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट जिसकी कुल कीमत 50 लाख रूपए आंकी गई है, को बरामद कर मादक पदार्थ तस्कर भोमाराम जाट को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ज्ञात रहे कि 27.10.2024 को भंवराला उनि. थानाधिकारी बायतु मय जाला द्वारा मुखबीर सुचना अनुसार पुलिस थाना बायतु के आगे बैरियर लगाकर नाकाबन्दी की जा रही थी। दोराने नाकाबन्दी नेशनल हाईवे से जोधपुर की तरफ से आ रही एक एम्बुलेंस वाहन को संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा

रुकवाने का प्रयास किया तो एम्बुलेंस चालक द्वारा नजदीक आने पर पुलिस नाकाबन्दी को देखकर एम्बुलेंस की बत्ती व सायरन को चालू कर पुलिस जाब्ता को जान से मारने की नियत से बैरिकेट को टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया, बैरियर एम्बुलेंस के मैंन शीशे पर गिरने से शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस जाब्ता द्वारा अपनी सूझबूझ व सजगता से अपना बचाव करते हुए एम्बुलेंस चालक नाकाबन्दी तोड़कर भागने पर जिसका निरन्तर सरकारी वाहनों से पीछा कर सरहद कोसिरिया में एम्बुलेंस को रुकवाया तो एम्बुलेंस में सवार चालक व खलासी एम्बुलेंस को छोड़कर भागने लगे जिस पर चालक भोमाराम पुत्र रूखाराम जाति जाट उम्र 29 साल निवासी जाखडो की ढाणी, सनावडा पुलिस थाना सदर जिला बाडमेर को दस्तखत किया गया। एम्बुलेंस में अवैध डोडा पोस्ट भरा हुआ होना बताया। एम्बुलेंस में 33 काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में भरे कुल 679.655 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट सहित तस्करी में प्रयुक्त वाहन एम्बुलेंस को बरामद किया।

राजगढ़। अलवर मार्ग पर रेलवे अंडरपास गेट नंबर 138 के पास 24 अक्टूबर को रात्रि लोहा व्यापारी की कार पर फायरिंग कर जान से मारने व लूटपाट के इरादे को लेकर फायरिंग के शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी महुआ थाने का हिस्ट्रीशीटर है।



राजगढ़ में फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी भगवान सहाय मीणा उर्फ काडू 27 वर्ष पुत्र दिलीप सिंह निवासी महुआ थाने का हिस्ट्रीशीटर है। शातिर बदमाश के विरुद्ध खेडूली, मंडावर, जयपुर, घुसावर, अलवर सहित अन्य थानों में 26 गंभीर मामले दर्ज हैं। एडिशनल एसपी प्रियंका ने बताया कि महानिरीक्षक अजय पाल लांबा एवं संजीव नेन जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में उष अधीक्षक मनीषा मीणा की मार्गदर्शन में वारदात के बाद टीमें का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लाते समय

टॉयलेट के बहाने फरार होने का असफल प्रयास किया। इस दौरान पहाड़ी पर भागते समय उसके पैरों में चोट आई। आरोपी

जान से मारने व लूटपाट के इरादे से की थी फायरिंग

एवं चालक महेंद्र मीणा को गोदाम से अंतर्गत बदमाशों ने कार पर फायरिंग की एवं व्यापारी को जान से मारने को लेकर चलाई गेली चालक के लग गई। इसमें चालक महेंद्र मीणा को गंभीर हालत में राजगढ़ से अलवर रैफर कर दिया। इसमें साइबर सेल एवं आने तकनीकी अनुसंधान की कुशलकार्मिकों की टीम बनाई गई। इसके बाद आरोपी को पकड़ने में कामयाबी मिली। इस टीम में थानागाजी एवं लक्ष्मणगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य दर्जन पर अधिकारी कर्मचारी ने कड़ी मसहकत की। सुंदर सोमवार को आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहाँ से उसे रिमांड पर भेज दिया।

डीएलएड पूरक परीक्षा की तिथियों में बदलाव

बीकानेर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से 25 अक्टूबर से शुरू हुई डीएलएड पूरक परीक्षा- 2023 की तिथियों में बदलाव किया गया है। दीवानी पर्व के कारण 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पूरक परीक्षा अब 5 नवंबर 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं। विदित रहे कि पूर्व में पूरक परीचय 30 अक्टूबर तक आयोजित होनी थी। लेकिन अब परीक्षाओं का समापन 6 नवंबर को होगा। परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है।

बायोपार्क के रेस्क्यू सेंटर में इलाज के दौरान दो पैंथर की मौत

उदयपुर, (का.सं.)। आदमखोर पैंथर के खौफ से चर्चा में आये उदयपुर में पिछले 20 दिनों में 4 पैंथर की मौत भी हो चुकी है। दो पैंथर इलाज के दौरान रेस्क्यू सेंटर पर मर गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पैंथर को गोली मारी गई। वहीं एक पैंथर को लोगों ने मार दिया। उदयपुर के गोगुंदा और झाड़ोले में पैंथर 10 लोगों का शिकार कर चुका है। वहीं 20 दिनों में चार पैंथर की भी मौत हो चुकी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दो तो उसे लाया जाता है। यहाँ डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। उनका कहना है। घायल दोनों पैंथर की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद सरकारी नियमों के अनुसार उनका पोस्टमार्टम के बाद निम्नानुसार अंतिम संस्कार किया गया। पूरी जानकारी भी

आला अधिकारियों को भेजी जाती है। इधर वन विभाग की टीम उदयपुर के पास लखावली गांव के पास से 21 अक्टूबर को पिंजरे में आए पैंथर को लेकर आए थे। 22 अक्टूबर की सुबह वह बायोलाॅजिकल पार्क से पैंथर पिंजरे से भाग गया। वन विभाग ने वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पूरा बायो पार्क छान मारा लेकिन पैंथर कहीं नहीं दिखा और बायोपार्क में टूरिस्ट का प्रवेश बंद कर दिया था। वन विभाग को जब यह लगा कि पैंथर बायोपार्क में नहीं दिखा तो उसके बाद शनिवार को बायो पार्क टूरिस्ट के लिए खोला था। विभाग ने अब अंदेशा जताया कि पैंथर यहाँ नहीं दिखा तो अब वह सज्जगद अभयारण्य परिया में चली गई है।

वेदी को लेकर मंदिर में ही लड़ने लगे जैन समाज के दो पक्ष

मंदिर परिसर में दोनों पक्षों के बीच लात-घुंसे चले, जमकर हाथापाई थी हुई, मामला थाने पहुंचा

कोटा, (निर्सं)। अहिंसा का अनुसरण करने वाले ही अगर मारपीट पर उस जगह पर उतारू हो जाए जहाँ पर अहिंसा के प्रवचन दिए जाते हैं तो मुद्दा काफी गंभीर हो जाता है। कुंडी रिडि-सिद्धि नगर स्थित जैन मंदिर ऐसा नजारा रविवार की रात देखने को मिला। जहाँ पुरानी वेदी तोड़ने को लेकर विवाद गहरा गया। मंदिर परिसर में दोनों पक्षों के बीच लात-घुंसे चले, जमकर हाथापाई भी हुई। मामला इतना गहराया की थाने पहुंचा गया।



मारपीट होने पर दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर शिकायत दी गई है।

दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर शिकायत दी गई है। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रविवार देर रात तक पुलिस बल पर मंदिर पर तैनात रहा। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि रिडि-सिद्धि नगर स्थित जैन मंदिर में पुरानी वेदी को हटाने को लेकर मंदिर ट्रस्ट और समिति के बीच में विवाद हुआ था। दोनों पक्ष के बीच मारपीट की शिकायत आई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।

मंदिर ट्रस्टी राजकुमार सबदरा और अशोक हरसोरा ने शिकायत दी है कि मंदिर का शिलान्यास 2003 में हुआ था और विधि-विधान से बनाया गया था। पूर्व से ही मामला वेदी को लेकर गहराया हुआ है। उसके बाद भी गुरु सेवा संघ ने मंदिर ट्रस्ट और समाजजनों की बिना सहमति के मंदिर की पुरानी वेदी को तोड़ना शुरू कर दिया। सूचना पर समाज के लोगों ने पहुंचकर विरोध किया तो उनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। सचिन गोहिल, संदीप जैन, रोमिल जैन, प्रियंका जैन, अलका जैन और रोशन जैन तथा लाभचंद जैन घायल हुए हैं। वेदी समिति के पारस बंसल का कहना है कि समाज के अधिकतर लोग उनके पक्ष में हैं। मंदिर में बिना किसी तोड़फोड़ के ग्रेनाइट के ऊपर ही चांदी की वेदी लगाई जा रही है। पूर्व में जो काम हुए हैं उसे देखा जाए तो वेदी के नीचे जो स्थान है वह पूरी तरीके से पोला है। मंदिर पर एक दो परिवार अपना एकाधिकार समझते हैं वे लोग ही ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं। वहीं इस विवाद पर नजर रखने वाले समाज के व्यक्ति

का कहना है कि समाज का आपसी विवाद बाहर आना समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज के सुनील जैन का कहना है कि जब से मंदिर स्थापित हुआ है सब कुछ अच्छा हो रहा है ऐसे में वेदी के साथ छेड़छाड़ करना उचित प्रतीत नहीं होता। ऊपर प्रतिमा स्थापित की जा रही है तो वहीं पर चांदी की वेदी भी बना दी जाए। कई बार महाराज श्री से भी इस विवाद में बीच का रास्ता निकालने के लिए प्रार्थना की जा चुकी है। परंतु ऐसा नहीं हो पाया और अब विवाद खुलकर लोगों के सामने आ गया है जो किसी भी स्थिति में समाज के लिए ठीक नहीं है। वहीं कोटा के रिडि-सिद्धि नगर स्थित श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 27 अक्टूबर 2024 को श्रुत समाधान

कार्यक्रम के दौरान हंगामे की घटना से सकल जैन समाज में रोष है। नदी पार सकल दिगम्बर जैन समाज के पदाधिकारियों ने हजारों की संख्या में एकत्रित होकर मौन जुलूस निकाला और अपना रोष प्रकट किया। मंदिर अध्यक्ष राजेन्द्र गोधा ने बताया कि दोपहर 2.30 बजे जैन समाज हजारों लोग रिडि-सिद्धि जैन मंदिर में एकत्रित होकर, हाथों पर काली पट्टी बांध कर, कतारबद्ध होते हुए मंदिर से कुन्हाड़ी थाने पहुंचे और गुरुदेव संत आदित्य सागर महाराज से अग्रदत्ता के खिलाफ सहावर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। सचिव पंकज खटोड़ ने बताया कि जुलूस में बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, युवा व जैन समाज के

हजारों लोग शामिल रहे। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष टीकम पाटनी व मंत्री पारस बज आदित्य ने बताया कि जैन समाज के प्रतिष्ठित संत आदित्य सागर महाराज की आरती के समय रविवार सांय कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंच पर बैठे मंबराज पिच्छी, कल्पलाल छीनने की कोशिश और अपशब्द कहे। इस घटना के समय मंदिर में उपस्थित समाज के लोगों और महिलाओं ने इन व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बावजूद उन्होंने समाज के लोगों के साथ धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रस्टी राजकुमार सबदरा और उनके साथियों द्वारा यह उपद्रव किया गया।

मंत्री पारस बज आदित्य, कोषाध्यक्ष निर्मल अजमेरा, राजेन्द्र गोधा, सचिव पंकज खटोड़, कोषाध्यक्ष ताराचंद बडला, पारस लुहाड़िया, राजकुमार पाटनी, संजय लुहाड़िया, पारस कासलीवाल, विनोद सारसोप, पुष्प लुहाड़िया, राजकुमार पाटनी, दीपक नान्ता, पीयूष बज, दीपांशु जैन, राजकुमार बाकलीवाल, जम्बू बज, महेंद्र गोधा, पदम बाकलीवाल, अशोक पापड़ीवाल सहित हजारों महिला व पुरुष भारी संख्या में कुन्हाड़ी पुलिस थाने पर एकत्रित हुए।

जैन समाज के चतुर्मास समिति और श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर समिति और कुन्हाड़ी सकल जैन समाज के लोगों ने मिलकर थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की। समाज ने यह भी अनुरोध किया कि महाराज के चतुर्मास और आगामी पंचकल्याणक महोत्सव के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी असामाजिक तत्व को सख्ती से रोका जाए। मौन जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने उपस्थित होकर गुरु के अपमान का असहनीय बताया। संजय लुहाड़िया ने मंदिर परिसर में अनशर पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। समिति का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

कार्यालय नगर निगम, पाली (राज.)
 दिनांक - 24.10.2024
ई-निविदा सूचना संख्या 08/2024-25
 नगर निगम, पाली की ओर से स्थायत शासन विभाग / नगर निगम, पाली से पंजीकृत या अन्य विभागों में "ए" अथवा "एए" श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से 08 कार्यों की (अनुमानित लागत रु. 49.94 लाख) ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक दिनांक 25.10.2024 को प्रातः 09.00 बजे से दिनांक 05.10.2024 को सांय 6.00 बजे तक ऑनलाईन निविदाएं जमा कर सकते हैं। निविदा से सम्बंधित सूचना वेबसाइट <http://sppp.raajasthan.gov.in> व <https://eproc.raajasthan.gov.in> से तथा अहोरात्रिकरुतों के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। उक्त 08 कार्यों के यू.पी.एन संख्या निम्नानुसार है।
 DLB2425WSOB11173 DLB2425WSOB11175 DLB2425WSOB11177
 DLB2425WSOB11179 DLB2425WSOB11180 DLB2425WSOB11182
 DLB2425WSOB11183 DLB2425WSOB11184 DLB2425WSOB11186
 आदित्य
 नगर निगम, पाली
 राज.संवाद/सी/24/7108

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
 दिनांक निदेश/अ.ख.अ. नीलामी/नितामी (ERCC XV)/2024/ई-8881
ई-नीलामी विज्ञापित संख्या-ERCC(XV)/2024
 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अग्रगण्य खनिज विभाग नियमावली, 2017 के नियम-36 व 37 के तहत विभाग द्वारा इस विज्ञापित से अग्रगण्य खनिजों के प्रभावशील खनिज पट्टों/व्यारी लाईसेंसों व परमिट क्षेत्रों से निर्गमित होने वाले खनिजों पर अधिभुक्त/अधिक अधिभुक्त, परमिट शुल्क, प्रिमीयम शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के कुल 12 ठेके खुली ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर इच्छुक बोलीदाताओं से बोली आमंत्रित की जाती है। ठेकों से संबंधित विस्तृत विवरण जैसे-ठेका क्षेत्र, खनिज, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण व ई-ऑक्शन की प्रक्रिया एवं मुख्य शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.raajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता कंपनी MSTC की वेबसाइट www.msstcecommerce.com पर उपलब्ध है।
 (भगवती प्रसाद) IAS
 निदेशक
 DIPRC/10544/2024

OFFICE OF THE MUNICIPAL BOARD, DEOGARH
 Tel. No. 02904-252039 E-mail id: EDOEGARH.LSG@RAJASTHAN.GOV.IN
 S.No. F ()/JMBD/Engg./E-NIB/11/2024-25/2237 Date : 25.10.2024
Notice Inviting BID
NIB No 11/2024-25
 नगर पालिका देवगढ़ द्वारा निम्नांकित विकास कार्यों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार के विभागों व अधिकृत संगठनों व स्वायत्त शासी संस्थाओं में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बंधित विस्तृत विवरण व जानकारी वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in or <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखी एवं डाउनलोड जा सकती है।
NIB CODE :- DLB2425A3578
UBN No :- DLB2425WSOB11260

क्र.सं.	कार्य का नाम	UBN NO.	NIB NO.
1	Consultancy Work for Preparation of Detailed Project Report (DPR) For Construction of High Level Bridge on Salampur to Bholi-Dabra-Shekhapura-Golhra-Varwasan Devi-Naroli-Kaladevi Road at Varwasan Devi With SBC Tests, Hydraulic Design and Drawing and DPM of 5.50 Mt Wide Road (300/00K) With Hydraulic Design and Drawing of CD Works including Forest Clearance.	PWD2425SL080731	WD2425A2368

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-सपोटारा
 दिनांक- 22.10.2024
निविदा सूचना संख्या-12/2024-25
 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न कार्यों के लिए उभयपक्ष श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों/अन्य एच राज् सरकार/रेलवे सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय/राज्य निर्माण/इका एवं वृत्तार विभाग/रेलवे इत्यादि के पंजीकृत संवेदकों जो कि राज्य सरकार के एच ए वी सी डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रथम में प्रात की जाएगी। अल्पकालीन निविदाओं से संबंधित विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।
 अधिशाषी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड सपोटारा
 DIPRC/10509/2024